



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-10072026-274268  
CG-JH-E-10072026-274268

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 514]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
धनबाद, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 572(अ) .— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131 के उप-नियम (2) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्वल ताह, खानों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, एतद्वारा भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर, जहाँ कोई बचाव कक्ष स्थित नहीं है, उपलब्ध कराए जाने वाले और अनुरक्षित किए जाने वाले उपकरण और सामग्रियाँ निम्नानुसार निर्दिष्ट करता हूँ:

दायरा: ये मानक भूमिगत खदानों के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध कराए जाने वाले और रखरखाव किए जाने वाले उपकरणों और सामग्री को निर्दिष्ट करते हैं, जहाँ उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131(2) के तहत आवश्यक बचाव कक्ष स्थित नहीं है।

प्रयोज्यता: ये मानक उन सभी भूमिगत खदानों पर लागू होंगे, जहाँ खदान के प्रवेश द्वार के निकट कोई बचाव कक्ष स्थित नहीं है।

अनुपालन आवश्यकता:

खदान की सतह पर, जहाँ बचाव कक्ष खदान के प्रवेश द्वार के निकट स्थित न हो, वहाँ उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा है।

1.0 श्वास यंत्र (Breathing Apparatus) - संख्या

1.1 संपीड़ित वायु श्वास यंत्र (Compressed air breathing apparatus) - 02 (दो)

1.2 अतिरिक्त सिलेंडर - 02 (दो)

1.3 स्व-निहित स्व-बचाव यंत्र (Self Contained Self Rescuer) - 03 (तीन)

2.0 रखरखाव उपकरण किट सहित ज्वाला सुरक्षा लैंप (Flame safety lamp with maintenance tool kit) - 1 (एक)

3.0 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेंसर युक्त मल्टी-गैस डिटेक्टर - 02 (दो)

या

a) मीथेन डिटेक्टर-02 (दो)

b) कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर-02 (दो)

c) कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर-02 (दो)

d) ऑक्सीजन डिटेक्टर-02 (दो)

4.0 व्हर्लिंग हाइड्रोमीटर-02 (दो)

5.0 सुरक्षा बेल्ट-04 (चार)

6.0 पुनर्जीवन उपकरण (Resuscitating apparatus) - 01 (एक)

6.1 अतिरिक्त सिलेंडर - 01 (एक)

7.0 प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स - 02 (दो)

8.0 कंबल - 02 (दो)

9.1 स्कूप स्ट्रेचर - 1 (एक)

9.2 स्पाइन बोर्ड - 1 (एक)

बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी भी खान को ऐसे अतिरिक्त अथवा अधिक क्षमता वाले उपकरण एवं यंत्र को उपलब्ध कराने और रख रखाव के लिए लिखित आदेश के द्वारा निर्देशित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

[फा. सं. डीजीएमएस/01-1/2026/सोमा (मुख्यालय)]

उज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****(Directorate General Of Mines Safety)****NOTIFICATION**

Dhanbad, the 1st July, 2026

**G.S.R. 572(E).**— In exercise of the powers conferred on me under sub-rule (2) of rule 131 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the apparatus and equipment to be provided and maintained at the entrance of a belowground mine, where no rescue room is located, as follows:

**Scope:** These standards specify the apparatus and equipment to be provided and maintained at the entrance of a belowground mine, where no rescue room is located as required under Rule 131(2) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

**Applicability:** These standards shall be applicable to all below ground mine, where no rescue room is located close to mine entrance.

**Compliance Requirement:****Apparatus and equipment to be provided and maintained at the surface of mine where no rescue room is located close to mine entrance**

## 1.0 BREATHING APPARATUS-Nos

1.1 Compressed air breathing apparatus- 02 (Two)

1.2 Spare Cylinders -02 (Two)

1.3 Self Contained Self Rescuer- 03 (Three)

2.0 Flame safety lamp with maintenance tool kit-1 (One)

3.0 Multi-gas detector with methane, Carbon-monoxide, Carbon dioxide and Oxygen sensors-02 (Two)

OR

a) Methane detectors-02(Two)

b) Carbon-monoxide detectors-02(Two)

c) Carbon-dioxide detector -02(Two)

d) Oxygen detector-02(Two)

4.0 Whirling hygrometer-02(Two)

5.0 Safety belt-04 (Four)

6.0 Resuscitating apparatus-01 (One),

6.1 Spare cylinder-01 (One)

7.0 First-aid box-02(Two)

8.0 Blankets-02 (Two)

9.1 Scoop stretchers-1 (One)

9.2 Spine board-1 (One)

Provided that the Chief Inspector-cum-facilitator may, by an order in writing, require any mine to provide and maintain such additional or higher capacity apparatus and equipment as may be considered necessary.

[F. No. DGMS/01-1/2026/SOMA(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines